

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

D.S.W.
2/1/1/1

क्रमांक 2351922/2024/38-3 भोपाल दि 23-04-2026
प्रति,

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश

23/4/26
पुष्पादी कम्प्यूटर
तुलना वि. वि. - नवलखर
पु. सं. सं. सं.

23 APR 2026

959

विषय:- Request to alert the students regarding verification of Higher Educational Institutions to avoid admission in the Fake Universities-reg.

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक 09.04.2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्र 2351922/2024/38-3 भोपाल दिनांक

प्रतिविधि:-

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Digitally signed by
Beeren Singh Dhalavi
Date: 23-04-2026
11:59:51


554
24/04/26



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

शिक्षा विभाग, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)

मि.सं. 7-3/2012(ए.म.पी.सी)

19 चैत्र, 1948 /09 अप्रैल, 2026

मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा)
मध्य प्रदेश सरकार
कक्ष संख्या 309, तृतीय तल
मंत्रालय वल्लभ भवन
भोपाल - 462004

0 5 11 2026

विषय: फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से बचाव हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की सत्यता की जाँच संबंधी परामर्श विद्यार्थियों तक प्रसारित करने के संबंध में।

आदरणीय महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषयान्वयी इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 30 जून 2025 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) प्रत्येक वर्ष स्वयं-घोषित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है तथा फर्जी विश्वविद्यालयों/अमान्य संस्थानों की सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन करता है। इस पहल का उद्देश्य छात्र अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है तथा उन्हें ऐसे अनधिकृत संस्थानों में प्रवेश न लेने की सलाह देना है, क्योंकि ऐसा करने से उनका शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

चूंकि शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है, यह देखा गया है कि विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र अभी भी स्वयं-घोषित एवं अमान्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे भ्रामक दावों का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में, प्रारंभिक स्तर पर जागरूकता एवं निवारक उपाय छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, यूजीसी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागों से सहयोग की अपेक्षा करता है तथा आपसे अनुरोध करता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षा बोर्डों एवं विद्यालयों को निम्नलिखित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

1. कक्षा X एवं XII के छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षकों को फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों से जुड़े आशंकाओं/जोखिमों के बारे में सूचित एवं परामर्शित किया जाए।
2. छात्रों को यह सलाह दी जाए कि वे उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की मान्यता की स्थिति की जाँच यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाकर, मुख्य मेन्यू में उपलब्ध "HEIs" टैब के माध्यम से करें।
3. यूजीसी की दिनांक 18 मार्च 2025 की सार्वजनिक सूचना को विद्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए तथा विद्यालयों की वेबसाइटों, परिपत्रों एवं अभिभावक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से इसका व्यापक प्रसार किया जाए।

इस संदर्भ में, यूजीसी ने छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में फँसने से बचाने के उद्देश्य से एक लघु वीडियो भी तैयार किया है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है :

https://drive.google.com/drive/folders/13_JbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी का व्यापक प्रसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs), विद्यालय शिक्षा बोर्डों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाए, ताकि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
श्रीधरा मंत्रालय, भारत सरकार।
(Ministry of Education, Govt. of India)

मिसिल सं० 7-3/2012(ए.एम.पी.सी.)

19 चैत्र, 1948 / 9 अप्रैल 2026

सार्वजनिक सूचना

विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता को अवगत कराया जाता है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

हालांकि, यूजीसी के ध्यान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए वैध होगी।

इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in देखें।

इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्था यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, तो उसे ईमेल: ugcampc@gmail.com के माध्यम से यूजीसी के ध्यान में लायें ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक को देखें :

https://drive.google.com/drive/folders/13_lbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

(मनिष जोशी)

